SHRI S.R. BOMMAI: Mr. Chairman, Sir, so far as the Shastri Bhavan and other buildings are concerned, the hon. Minister has already assured the House that some steps are being taken for fire safety, but complete protection is not there. So far as the Central Government buildings are concerned, I would like to know from the hon. Minister by which time the safety measures would be completed.

Secondly, some State Governments are constructing new buildings in New Delhi. Is there any coordination between the Central Government and State Governments to see that this Act is made applicable and fire safety equipment is provided in those buildings?

SHRI L.K. ADVANI: So far as new buildings are concerned, without a 'no objection certificate' they will not be able to get a completion certificate at all. Unless adequate measures are taken in respect of fire-fighting protection, they will not be able to get a certificate.

So far as the Central Government buildings including the Shastri Bhavan are concerned, I have already stated that I will be coming forth to inform the House as to what shortcomings are there in these buildings. I consider several of them, may be, some of them are having inherent problems in the structures of these buildings. When these buildings were constructed, necessary precautions were not taken. However, a decision will be taken in that regard.

श्री जनार्दन यादव : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी भवनों में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास हो रहा है लेकिन दिल्ली में लाखों मकान है जिनमें लोग रह रहे है । 1983 के बाद जो 12 आवश्यकताएं लगाई गई है भवन निर्माण के लिए, क्या निजी कांट्रैक्टर्स जो मकान बना रहे है, उनमें ये 12 आवश्यकताएं लागू की जा रही है या नही?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, पहली बात तो यह है कि जो 12 आवश्यकताएं मैंने कहीं, इनका संबंध सब मकानों से नही है । ये हाई-राईज बिल्डिंग्स से संबंधित है । आप छोटा मकान बनाएं, एक मंजिल का मकान बनाएं, उसके लिए इनकी आवश्यकता नही है । हाई-राईज बिल्डिंग, जो एक सीमा के ऊपर की ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए यह आवश्यक है और मैंने कहा कि कांट्रैक्टर बना ही नही सकता जब तक उसको नो-ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट न मिले और यह कानूनी आवश्यकता है, स्टैटयूटरी आवश्यकता है ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत परियोजनाओंको स्वीकृति प्रदान किया जाना

*304 **श्री गोपाल सिंह जी0 सोलंकी**:

श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वार 30 अप्रैल, 1998 तक निजी और सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी तथा कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) क्या इसके लिए आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं तथा इस संबंध में विद्युत क्रय अनुबन्ध पर भी हस्ताक्षर हो चुके है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में विदेशी पूंजी का निवेश और इसकी हिस्सेदारी भी शामिल है; और

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास कितनी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं और उन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 1 अप्रैल, 1997 से 30 अप्रैल, 1998 के दौरान के0वि0प्रा0 द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है । (**नीचे देखिए**)

(ख) 1991 में भारत सरकार की निजी विद्युत नीति के आरंभ से निजी परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ आशय-पत्र/समझौता ज्ञापन के आधार पर विकसित की गई है । तथापि, फरवरी, 1995 से

†सभा में यह प्रश्न श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी द्वारा पूछा गया ।

के0वि0प्रा0 की स्वीकृति की आवश्यकता वाली परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली माध्यम पर स्थापित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है । राज्य बिजली बोर्डो और निजी परियोजना विकासकर्ताओं के मध्य विद्युत क्रय संविदाएं की जाती है । उपलब्ध सूचना के अनुसार विवरण-2 में सूचीबद्ध अधिकांश परियोजनाओं ने संविदा पर आद्यक्षण/हस्ताक्षर कर दिए हैं । (**नीचे देखिए**)

प्रारंभ में, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य बिजली बोर्डो के साथ वृहत विद्युत आपूर्ति करार (बीपीएसए) पर हस्ताक्षर करते रहे हैं ताकि क्षेत्र में विभिन्न विद्युत केन्द्रों को विद्युत की बिक्री की जा सके । बीपीएसए में सभी विद्यमान और भारी विद्युत केन्द्रों से विद्युत की बिक्री करना शामिल है । 1994 के बाद से एनटीपीसी पृथक पीपीए पर हस्ताक्षर कर रहा है ।

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वास्तविक राशि तथा निजी विद्युत परियोजनाओं में इसका हिस्सा इन परियोजनाओं का वित्तीय समापन होने के तथा निर्माण पूरा होने के बाद ही पता चल सकता है । सार्वजनिक क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं में कोई विदेशी प्रत्यक्ष नही है ।

(घ) 30 अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार 9822.5 मे0 वा0 की कुल क्षमता वाली 22 राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं तथा 4864 मे0 वा0 की कुल क्षमता वाली 10 निजी क्षेत्र विद्युत परियोजना रिपोर्टे (डीपीआर) के0वि0प्रा0 के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त हो गई है । संबंधित राज्य सरकारों और परियोजना प्रवर्तकों से अपेक्षित स्पस्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु इन डीपीआर को लिया जाएगा ।

विवरण – ।

1 अप्रैल, 1997 से 30 अप्रैल, 1998 की अवधि के दौरान के0वि0प्रा0 द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र0सं0	परियोजना का नाम/राज्य	क्षमता (मे0वा0)
केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	तलचेर ताप विद्युत परियोजना चरण-2 (एनटीपीसी) उडीसा	200
2.	तुरियल जल विद्युत परियोजना (नीपको), मिजोरम	60
राज्य क्षेत्र		36
1.	लीमाखोंग, डीजीपीपी (भारी ईधन तेल ताप विद्युत परियोजना), मणिपुर	

विवरण-2

निजी विद्युत परियोजनाएं

क्र0सं0	परियोजना का नाम/राज्य	क्षमता (मे0वा0)
1.	विष्णुप्रयाग एचईपी (जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि0), उत्तर प्रदेश	400
2.	रोजा टीपीपी (इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स कार्पो0) उ0प्र0	567
3.	पातालगंगा सीसीजीटी (मै0रिलाइंस पातालगंगा पावर प्रा0 लि0) महाराष्ट्र	447.1
4.	तूतिकोरिन टीपीपी चरण-4 (मै0 स्पिक इलेक्ट्रिक पावर कार्पो0 लि0) तमिलनाडु	525

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/राज्य	क्षमता (मे0 वा0)
5.	बीना टीपीएस (मै0 बीना पावर सप्लाई कं0 लि0, मध्य प्रदेश	578
6.	नरसिंह सीसीपीपी (मै0 जीविएल पावर इंडिया लि0 , मध्य प्रदेश	166
7.	कोरबा (पश्चिम) विस्तार,(इंडिया थर्मल पावर लि0), मध्य प्रदेश	420
8.	गुना सीसीजीटी (मै0 एसटीआई पावर इंडिया लि0) मध्य प्रदेश	347.25
9.	पेंच टीपीपी (मै0 पेंच पावर लि0), मध्य प्रदेश	500
10.	भिलाई टीपीपी (मै0 भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लि0) मध्य प्रदेश	574
11.	रायगढ़ टीपीपी (मै0 जिन्दल पावर लि0), मध्य प्रदेश	550
12.	भाण्डेर सीसीटीजी (मै0भाण्डेर पावर लि0) मध्य प्रदेश	342
13.	पीठमपुर डीजीपीपी (मै0 शपूरजी फ्लोनजी पावर कं0लि0) मध्य प्रदेश	119.7
14.	रतलाम डीजीपीपी (मै0 जीवीके पावर(रतलाम लि0), मध्य प्रदेश	118.63
15.	रामागुंडम विस्तार (बीपीएल ग्रुप(-ऑन आईसीबी रूट, आन्ध्र प्रदेश	520
16.	कोंडापल्ली सीसीजीटी (लानको इंडस्ट्रीज लि0) – ऑन आईसीबी रूट आन्ध्र प्रदेश	350
17.	समवानल्लूर डीजीपीपी (मै0 बालाजी पावर कार्पो0लि0), तमिलनाडु	106
18.	समलपट्टी डीजीपीपी (मै0 समलपट्टी पावर कं0 लि0) तमिलनाडु	106
19.	जोजोबेरा टीपीपी (मै0 जमशेदपुर पावर कं0लि0) बिहार	240
20.	धौलपुर सीसीजीटी (मै0 आरपीजी धौलपुर पावर कं0 लि0), राजस्थान	702.7
21.	बरसिंगसर लिग्नाइट टीपीटी (मै0 हिन्दुस्तान विद्युत कार्पो0लि0 राजस्थान ।	500

SHRI GOPALSINGH G. SOLANKI: Mr. Chairman, Sir, today, the whole nation is facing an acute shortage of power. The reply to part (a) of my question shows the clearance of 21 projects;—10 in Madhya Pradesh, two in Uttar Pradesh, one in Maharashtra, three in Tamil Nadu, two in Andhra Pradesh, one in Bihar and two in Rajasthan. These projects will generate about 8000 MW of power. So far as the Central Projects are concerned, they have cleared two projects. They will generate about 2060 MW of power. And the project in Manipur will generate 36 MW of power. I would like to know whether the Central Electricity Authority looks at the time-frame while clearing the projects to assess whether those who have undertaken the projects would clear up them within some stipulated time or not. At the same time, I would also like to know the amount of foreign exchange that is

going to be involved in these projects. This is my first supplementary.

SHRI R. KUMARAMANGALAM: Sir, I would like to inform the hon. Member about the time-frame that the CEA gives to itself when a complete application comes.- Many times, applications are not complete. Specially when it comes to applications for techno-economic clearances, details and clarification are often sought. Within 60 days of an application being made, normally it is supposed to be cleared. But what happens is, they send it back for clarifications and details. But I would like to point out, historically, the improvement in figures and performance of the CEA in clearing projects. The details that have been given to you are for the year 1997-98. In fact, in 1992-93, to projects were cleared; in 1993-94, they were 17; in 1994-95, 8; in 1995-96, 8; in 1996-97, 7; and in 1997-98, they have been 23. From April 1 to date, we have cleared seven projects already. The CEA has moved very fast on it.

With regard to the amount of foreign exchange involved or invested in these projects, it can be pointed out when the projects complete the final closure because the final adjustments are done only at that particular period of time.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, my second supplementary is in regard to part (d) of my question. The Central Electricity Authority has received suggestions and proposals in respect of 22 States which involve production of electricity to the tune of about 4800 MW. I would like to know when these particular proposals are to be cleared by the CEA. I would also like to know whether the Government has made any survey. What was the demand in the year 1950 and what is the present demand? What is the difference in the demands?

SHRI R. KUMARAMANGALAM: Mr. Chairman, I am sorry, on the demand difference between 1950 and today, the figure' are not available with me now. But I shall definitely get the same and pass them on to the hon. Member. But, with regard to the proposals that are pending, the 22 proposals that have been mentioned, I can assure the hon. Member that as and when the clarifications are being sought, when the detailed project reports come, we should keep to the same deadline of two months and clear the same. With regard to the present shortage on demand, I would like to inform the Member that it is 11.7 per cent working out to around 7,000 MW approximately.

This is quite a large amount, not a small amount. The projection for the end of the Ninth Plan is, according to the Planning Commission, 57,000 megawatts. But keeping in mind various other additions which are coming up because of the PLF improvement, we believe that an additional capacity of 40,000 megawatts would meet the demand by the end of the Ninth Plan.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Custodial deaths

*305. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of custodial deaths, including deaths caused by harassment and ill-treatment at the hands of investigating and enforcement agencies in Delhi and other parts of the country during 1997 and 1998, so far;

(b) the number of cases which have been cited by the National Human Rights Commission and other Human Rights bodies; and

(c) the steps taken to prevent and avoid such deaths and uncalled for harassment and use of third degree methods to extract confession?